

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/85

1. राकेश कुमार पुत्र श्री भागीरथमल जाति जाट निवासी ग्राम चंदपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर (राजस्थान)।

— अपीलान्त

बनाम

1. दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर (राजस्थान)।
2. तहसीलदार सीकर ग्रामीण कार्यालय सीकर ग्रामीण सबलपुरा जिला सीकर।

— रेस्पोजेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.01.2025 न्यायालय तहसीलदार ग्रामीण सीकर, जिला सीकर प्रकरण संख्या 21/2024 बउनवानी दीपक बनाम तहसीलदार में पारित किया गया।

✓ अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/86

1. राकेश कुमार पुत्र श्री भागीरथमल जाति जाट निवासी ग्राम चंदपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर (राजस्थान)।

— अपीलान्त

बनाम

1. दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर (राजस्थान)।
2. तहसीलदार सीकर ग्रामीण कार्यालय सीकर ग्रामीण सबलपुरा जिला सीकर।

— रेस्पोजेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.01.2025 न्यायालय तहसीलदार ग्रामीण सीकर, जिला सीकर प्रकरण संख्या 21/2024 बउनवानी दीपक बनाम तहसीलदार में पारित किया गया।

उपस्थित :-

1. श्री हेमन्त जोशी, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।
2. श्री हेमन्त सोगानी, वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोजेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 27.05.2026

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार ग्रामीण सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 07.01.2025 तथा निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोले गये नामान्तकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ. नि. नानी, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर स्वीकृत दिनांक 14.02.2025 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों में तथ्य, पक्षकार एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान है। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जावे।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार सीकर ग्रामीण, जिला सीकर में हाल रेस्पोजेन्ट संख्या 01 दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट, निवासी ग्राम चन्दपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2024 को इस

ति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके दादीजी सुवा देवी पत्नि भागीरथमल जाति जाट निवासी चन्दपुरा की मृत्यु दिनांक 06.08.2024 को हो चुकी है। सुवा देवी पत्नी भागीरथमल ने अपने जीवनकाल में अपने पौत्र दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी चन्दपुरा के पक्ष में दिनांक 15.07.2021 को वसीयत निष्पादित पंजीबद्ध करवायी गई थी, जिसके आधार पर वसीयतकर्ता की सम्पूर्ण भूमि का प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाने बाबत निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 द्वारा हाल रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चन्दपुरा के ख.नं. 645, 652, 653, 654 कुल किता 4 रकबा 1.96 है० का वसीयतनामा के आधार पर वसीयतग्रहितागण दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर के पक्ष में, बाद रहनमुक्त का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ.नि. नानी, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर दिनांक 14.02.2025 को स्वीकृत किया गया।

3. तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 से तथा उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ.नि. नानी, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर दिनांक 14.02.2025 को स्वीकृत किया गया से व्यथित होकर अपीलान्त राकेश कुमार पुत्र भागीरथमल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर का निर्णय दिनांक 07.01.2025 व उक्त आदेश के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2310 दिनांक 14.02.2025 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोजेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर दिनांकित 07.01.2025 रूहेदाद मिसल विरुद्ध कानून होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है अपितु निरस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त निर्णय के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2310 दिनांकित 14.02.2025 भी निरस्त होने योग्य है। अपीलान्त की माता सुवा उर्फ सुवा देवी के नाम से खातेदारी की कृषि भूमियां वाके ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 645 रकबा 0.5000 है०, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.5000 है०, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.7400 है०, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.2200 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.9600 है० रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। उक्त कृषि भूमियां जो अपीलान्त की माता के नाम थी वे सभी भूमियां अपीलान्त के शामिलाली कुटुम्ब की आय से अर्जित की गई थी और वरवक्त क्रय अपीलान्त की माता के साथ-साथ उनके विधिक वारिसान द्वारा भी कब्जा काशत प्राप्त किया गया था जो कि क्रय के समय से लेकर आज दिन तक हुबहु बना हुआ है जिसमें कब्जे को लेकर कभी भी परिवार में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न नहीं रहा। चूंकि भूमि सभी के उपरोक्तानुसार शामिलाली आय से खरीद की गई थी और परिवार की ही सम्पत्ति के रूप में क्रय की गई थी के कारण स्वामित्व को लेकर परिवार में कभी भी पक्षकारान के मध्य विवाद नहीं रहा। भूमि भी माता के नाम से इस कारण से खरीद की गई थी कि संयुक्त परिवार में किसी भी सदस्य के मन में किसी भी प्रकार का स्वामित्व को लेकर मतभेद उत्पन्न ना हो और माता के जीवनकाल के पश्चात् नियमानुसार बतौर उत्तराधिकारी समान रूप से भूमि में हक, अधिकार माता के उत्तराधिकारी के रूप में सभी विधिक वारिसान को प्राप्त हो जायेंगे। प्रार्थी की माता का देहान्त उपरोक्त वर्णितानुसार दिनांक 06.08.2024 को हो चुका है जिसके विधिक वारिसान निम्न प्रकार है:-

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

श्रीमती सुबा देवी उर्फ सुवा देवी (फौत)

भागीरथमल (पति)	लोकेश (पुत्र)	धन्नाराम (पुत्र)	श्रीराम (पुत्र)	राकेश कुमार (पुत्र-अपीलान्ट)
-------------------	------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------

अपील में वर्णित वारिसान द्वारा सुबा देवी उर्फ सुवा देवी के नाम से अपील में वर्णित खातेदारी के सम्बन्ध में विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने बाबत परिवार में एक राय होकर वार्ता की गई तथा साथ ही सहमति से बंटवारा करने के लिए सिद्ध और तत्पर हुये क्योंकि विवादग्रस्त संपदा को लेकर क्रय के समय से ही पक्षकारान के मध्य कभी कोई किसी प्रकार का विवाद माता सुबा देवी उर्फ सुवा देवी के जीवनकाल में उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही उनकी मृत्यु के बाद हुआ। उक्त नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही मूल रूप से रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 दीपक के पिता लोकेश जो कि परिवार में भाईयों में सबसे बड़ा भाई था के द्वारा किया जाना तय हुआ और नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही उसके द्वारा ही की जा रही थी, के द्वारा अपीलान्ट को अन्य परिवारजनों के समक्ष यह खुलासा किया कि अपील में वर्णित खसरा भूमियों पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गोकुलपुरा का ऋण माता के जीवनकाल से ही चल रहा है जो कि माता के देहान्त के बाद से चुकाया नहीं गया है जिसके चुकाये बिना विरासत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जा सकती है, इस कारण नामान्तरकरण से पूर्व उक्त ऋण, ऋण खाता संख्या 53720500000192 में उपरोक्त बैंक का बकाया है जिसे चुकाना होगा ऐसा बैंक के प्रबन्धक ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश तथा अपीलान्ट के बड़े भाई को स्पष्ट किया है। अपील में वर्णितानुसार अपीलान्ट को रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता व अपीलान्ट के बड़े भाई लोकेश से प्राप्त जानकारी ऋण के सम्बन्ध में होने पर अपीलान्ट स्वयं के द्वारा कितनी राशि ऋण को चुकाने में देनी होगी ऐसा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता से पुछा तो रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता ने सभी भाईयों के समक्ष यह कहा कि सभी को 1-1 लाख रूपए की राशि देनी होगी जिससे एक मुश्त होकर ऋण चूकता कर दिया जायेगा और बाद होने ऋण चूकता समानता के आधार पर नियमानुसार सभी के खातेदारी माता के नाम के स्थान पर दर्ज हो जावेगी। बाद दर्ज होने खातेदारी सभी भाईयों के द्वारा बाहमी रूप से बंटवारा कर पृथक से रिकोर्ड में अमल दरामद करवा लिया जावेगा तथा माता की मृत्यु के पश्चात जो उनके सोने चान्दी के जेवरात है, वो मेरे पास रखे है, उनका भी बंटवारा सामाजिक लोगों के बीच बैठकर कर लिया जावेगा, उक्त समस्त कारणों एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता व अपीलान्ट के बड़े भाई लोकेश जो कि अपीलान्ट के साथ शामिलती तौर पर ही रहता है, पर विश्वास होने से अपीलान्ट के द्वारा अपने हक में आये दायित्व स्वरूप 1,00,000/-रूपए बैंक ऋण राशि चुकाने के पेटे रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता व अपीलान्ट के बड़े भाई को दे दिये और इसी प्रकार अपीलान्ट के समक्ष अपीलान्ट के भाई श्रीराम द्वारा भी अपने हक में होने वाले एक लाख रूपए की राशि बैंक ऋण चुकाने हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश को दे दिये तथा अपीलान्ट के अन्य भाई धन्नाराम ने अपीलान्ट के उक्त ऋण की रकम रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता को देने के समय और समय यह कह कर ले लिया कि आज मेरे पास पैसे उपलब्ध नहीं है 1-2 दिन में इकट्टे करके दे दूंगा जिसने बाद में रूपये रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश को दे दिये ऐसा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश ने परिवार में सभी को बता दिया था।

ऋण चुकाने के हिसाब को लेकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश द्वारा सभी उत्तराधिकारीगण को यह आश्वासन दिया कि ऋण चूकता होते ही बैंक का स्टेटमेंट व एन०ओ०सी० सभी को दिखा दी जायेगी ताकि विवाद नहीं रहे और अविभाजित भूमियों व जेवरात व माता के सामान को लेकर भी विभाजन कर लिया जावेगा तथा माता के मृत्यु में होने वाले मृत्यु खर्च के सम्बन्ध में भी साथ ही में हिसाब कर लेंगे जिस पर सभी उत्तराधिकारीगण सुबा देवी उर्फ सुवा देवी वरवक्त सहमत हो गये। अपील में वर्णितानुसार

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

सभी उत्तराधिकारीगण द्वारा तय की गई बात पर रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश द्वारा बैंक ऋण चुका दिया गया और ऋण चूकता होने पर बैंक से प्राप्त एन०ओ०सी० दिनांक 21 जनवरी 2025 की एक-एक फोटो प्रति सुबा देवी उर्फ सुबा देवी के सभी वारिसान को दिनांक 25.01.2025 को दे दी गई तथा यह कहा गया कि अब नामान्तरकरण खोला जा सकता है और मैं नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही कर रहा हूँ तथा जेवरात के हिसाब के सम्बन्ध में बंटवारा नामान्तरकरण खुलने के बाद कर लेंगे तथा माता के खर्च में लगे खर्च का हिसाब आज ही कर लेते हैं। चूंकि मुझे रूपयों की अदायगी लेनदारों को करनी है जिस पर अपीलान्ट व अन्य वारिसान द्वारा 70-70 हजार रूपए की राशि माता के खर्च में लगे रूपयों बाबत रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश को भुगतान कर दिया गया था। अपील में वर्णितानुसार रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश द्वारा जो आश्वासन अपीलान्ट एवं अन्य सुबा देवी उर्फ सुबा देवी के उत्तराधिकारीगण को दिया गया था के क्रम में नामान्तरकरण ना खुलने पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 01 के पिता से इस बाबत चर्चा की गई जिस पर वह नाराज हो गया और अपीलान्ट को कहा कि तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम नामान्तरकरण खुलवा लो, काम काम के हिसाब से होता है जिस पर अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध जानकारी प्राप्त की गई तो उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि नामान्तरकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करना पड़ता है जो कि किसी ई-मित्र सेन्टर से किया जा सकता है जिसके क्रम में अपीलान्ट द्वारा अपने नाम से ऑनलाईन नियमानुसार नामान्तरकरण खोले जाने खसरा संख्या 653, 654, 645, 652 वाके ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के लिए आवेदन कर दिया गया जो कि दिनांक 06.02.2025 को किया गया जिसके आवेदन संख्या 2025/7040/20 है। उक्त प्रकार से किये गये आवेदन की सूचना अपीलान्ट द्वारा परिवार में दे दी गई जिसे सुनकर रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 01 के पिता आग बबूला हो गये और अनायास ही अलग ही व्यवहार अपने आचरण से विपरीत जाकर करने लगे और अपीलान्ट को यह कहा कि ज्यादा समझदार हो गया क्या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नामान्तरकरण की कार्यवाही होनी होगी तब हो जावेगी। उक्त घटना के बाद अगले ही दिन दिनांक 07.02.2025 को अपीलान्ट द्वारा पुनः ई-मित्र के यहां सम्पर्क किया गया और नामान्तरकरण की अपडेट मांगी गई तो ई-मित्र वाले व्यक्ति ने स्टेटस नामान्तरकरण का जानने के लिए उक्त सम्बन्धित खसरां की जमाबन्दी निकाली गई और अपीलान्ट को दी गई। अपीलान्ट अधिक पढ़ा लिखा ना होने से ई-मित्र वाले से ही जमाबन्दी में क्या लिखा है की जानकारी लेनी चाही तो उसने बताया कि इसमें तो न्यायालय के आदेश से नामान्तरकरण खोले जाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

जिस पर अपीलान्ट को कोई बात न्यायालय आदेश के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं हो सकी जिस पर दुविधा में होकर अपीलान्ट घर आकर रात्रि के समय सभी भाईयों की उपस्थिति में न्यायालय के आदेश की बात कहीं जिसमें रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 के पिता को छोड़कर सभी वारिसान अचम्भित रहे किन्तु रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 के पिता लोकेश मुस्कराने लगा तब अपीलान्ट द्वारा विषय की गम्भीरता को लेकर रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 के पिता को कहा तो रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा अपीलान्ट को अन्य सभी सदस्यगण के समक्ष यह कहा गया कि उक्त खसरा को लेकर बंटवारे की बात भूल जावो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलना, जमीन मेरे नाम हो चुकी है और अब उक्त खसरा की भूमियों के पास भटकना भी मत वर्ना तुम लोगों की खैर नहीं है, मैं तो नामान्तरकरण की कार्यवाही होने एवं तुम लोगों से बकाया ऋण राशि निकलवा सकूँ के कारण से चुप था जो कि अब मेरा उक्त काम निकल गया है इसलिए तुम लोगों की मुझे कोई गर्ज नहीं है, तुमसे हो सके वो कर लो, मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास पुख्ता इन्तजाम स्वामित्व को लेकर है, मैंने चुप चाप रहते हुये ही तुम्हारे नाक के निचे से तुम्हारे हक की जमीन को अपने नाम माता से करवाली थी, अब माता की मृत्यु के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलना तो अपीलान्ट द्वारा सभी के समक्ष अचम्भित होकर यह कहा गया कि माता द्वारा जमीन लोकेश के नाम

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

करवाने की बात कभी नहीं की गई और ना ही ऐसा किये जाने का कोई कारण परिवार में रहा क्योंकि जमीन माता के नाम से खरीद के समय ही यह तय कर लिया गया था कि मां के जीवनकाल के पश्चात् जमीन सभी वारिसान के मध्य बांट ली जायेगी, जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पिता लोकेश एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 दीपक व दीपक की माता जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि डोकरी को पता होता तब ही तो वह बताती यह काम तो तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी अकल लगाते हुये तुम लोगों को कुछ ना देने के ईरादे से किया था जिसमें वह सफल रहा, अब आप लोगों से जो हो करलो, जिस पर एक बार तो अपीलान्ट के निचे से धरती खिसक गई किन्तु सभी शेष वारिसान द्वारा दिलासा दिलाते हुये कहा कि किसी जानकार से पता तो करो कि मामला क्या है।

अपील में वर्णितानुसार परिवारजनों के समझाने पर अपीलान्ट द्वारा विधिक सलाहकार से सलाह ली गई तो विधिक सलाहकार द्वारा जमाबन्दी देखते हुये न्यायालय के आदेश का मालुमात करने को कहा, जिस पर अपीलान्ट द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार कार्यालय में जमाबन्दी को दिखाते हुये वहां के सम्बन्धित पटवारी से जानकारी ली तो जानकारी मिली कि सुबा देवी ने अपने पौत्र दीपक पुत्र लोकेश रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 645, 652, 653, 654 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9600 है० की वसीयत दिनांक 15.07.2021 को कर दी है और वसीयत के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 दीपक द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही अपने पक्ष में न्यायालय में आवेदन पेश कर करवाई जा रही है। उक्त प्रकार से प्राप्त सूचना पर अपीलान्ट द्वारा अविलम्ब एक किता आवेदन नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोके जाने बाबत तहसीलदार महोदय सीकर को दिया गया तथा उनके संज्ञान में पुरा मामला आवेदन पेश कर स्पष्ट किया गया, जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलान्ट को मामले की पुनः जांच करने बाबत आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि अपीलान्ट के हकों के विरुद्ध कोई भी गलत कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा साथ ही अपीलान्ट द्वारा जो आवेदन अपील में वर्णितानुसार स्वयं द्वारा नामान्तरकरण खोले जाने का आवेदन ई-मित्र के यहां से भरा गया था के बारे में भी तहसीलदार महोदय को अवगत करवाया गया, जिस पर उन्होने अपीलान्ट द्वारा पेश उक्त दोनों आवेदनों पर कार्यवाही करने को कहा गया तथा साथ ही तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलान्ट को उचित न्यायालय में वसीयत के निरस्तीकरण के विरुद्ध चाराजोई करने की राय भी दी गई तथा वसीयत के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने बाबत तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलान्ट को सम्बन्धित पटवारी से पुनः मिलने की राय दी जिस पर अपीलान्ट द्वारा अविलम्ब उसी रोज पटवारी से तहसीलदार कार्यालय में ही विवादग्रस्त खसरां की जमाबन्दी दिखाकर पुनः जानकारी ली गई तो जानकारी मिली कि सुबा देवी उर्फ सुवा देवी ने अपने पौत्र दीपक पुत्र लोकेश के पक्ष में अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 645, 652, 653, 654 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9600 है० की वसीयत दिनांक 15.07.2021 को कर दी है और वसीयत के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही अपने पक्ष में न्यायालय में पेश कर करवाई जा रही है।

उक्त प्रकार से दीपक पुत्र लोकेश रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में वसीयत होने की जानकारी हासिल होते ही अविलम्ब अपीलान्ट द्वारा सम्बन्धित उप पंजीयक कार्यालय सीकर के यहां दिनांक 10.02.2025 को नकल वसीयत की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन लगाया गया जिस पर उसी रोज वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलान्ट को प्राप्त हो गई। उक्त वसीयत के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि उक्त समस्त कृषि भूमियों को जरिये वसीयत रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 के पिता लोकेश द्वारा अपने साजिशी व्यक्तियों को बतौर गवाह दस्तावेज वसीयत बनाते हुये अपने पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 दीपक के नाम करवा ली गई है जो वसीयत उप पंजीयक कार्यालय सीकर के यहां दिनांक 15.07.2021 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 158 कम संख्या 202103327300071 पर पंजिबद्ध हुई है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति पृथक से अपील के संलग्न

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

पेश की जा रही है। अपील में तहसीलदार महोदय सीकर से उचित न्यायालय में चाराजोई की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्त द्वारा अपने के मार्फत अविलम्ब एक किता सिविल वाद निरस्त किये जाने वसीयत, उद्घोषणा हक, एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश कर दिया गया जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के साथ साथ रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 भी पक्षकार मुकदमा संयोजित है में न्यायालय द्वारा उक्त दोनों पक्षकारों पर तामील नोटिस जारी किये गये जो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को दिनांक 14.02.25 को प्राप्त हो चुके थे। उक्त नोटिस मिलने व अपील में वर्णितानुसार अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से किये गये निवेदन के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 14.02.2025 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के द्वारा किये गये आवेदन जो नामान्तरकरण संख्या 2303 दिनांकित 07.02.2025 न्यायालय आदेश से प्रक्रियाधीन था को न्यायालय आदेश दिनांकित 13.02.2025 से निरस्त कर दिया गया और नया नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनांक 14.02.2025 को विरासत सुबा देवी उर्फ सुवा देवी पत्नी भागीरथमल के स्थान पर धन्नाराम पुत्र सुवा देवी, राकेश कुमार पुत्र सुवा देवी, लोकेश कुमार पुत्र सुवा देवी, श्रीराम पुत्र सुवा देवी का नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन कर दिया गया जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि भी अपील के समर्थन में अपील के साथ प्रस्तुत है।

उक्त नामान्तरकरण उक्त प्रकार से प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में अपीलान्त द्वारा कार्यालय तहसीलदार सीकर ग्रामीण पर सम्पर्क किया गया तो जानकारी हासिल हुई कि अपीलान्त द्वारा दिनांक 10.02.2025 को जो आवेदन नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोके जाने बाबत एवं अपीलान्त द्वारा दिनांक 06.02.2025 को जो ऑन लाईन आवेदन नामान्तरकरण खोले जाने बाबत कार्यालय को दिये गये थे पर तहसीलदार महोदय द्वारा कार्यवाही की जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 दीपक पुत्र लोकेश के नामान्तरकरण के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और अपीलान्त के पक्ष में बतौर सुवा देवी के वारिसान के रूप में नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन रखी जाकर प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही अपीलान्त द्वारा जो सिविल वाद बउनवानी राकेश कुमार बनाम भागीरथमल आदि मुकदमा संख्या 25/25 तथा स्टे आवेदन संख्या 36/25 पेश किया गया था जिसके नोटिस मय आवेदन व दावा की प्रति कार्यालय तहसीलदार को प्राप्त हो चुके है, जिसकी जानकारी तहसीलदार महोदय को होना जाहिर किया। उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी अपीलान्त को हासिल होने पर अपीलान्त आश्वस्त हो गया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में प्रक्रियाधीन थी और जिसे निरस्त कर दिया गया है। उक्त आश्वासन के बाद दिनांक 15.02.2025 को माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश सीकर द्वारा भी अपीलान्त द्वारा पेश सिविल वाद वसीयत निरस्तीकरण में भी समस्त रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया जो कि वसीयत को प्रथम दृष्टया सन्देहास्पद स्थितियों से ग्रसित होना मानकर पारित किया गया था। उक्त आदेश की प्रति भी पृथक से रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 के कार्यालय को राजस्व रिकार्ड में स्थगन का नोट लगवाने बाबत आवेदन के साथ दे दी गई थी। उक्त समस्त प्रकार की स्थितियों के बाद अपीलान्त द्वारा विवादग्रस्त खसरा की जमाबन्दी प्राप्त की गई तो उसे जानकारी हुई कि दिनांक 14.02.2025 को जो नामान्तरकरण पूर्व में दिनांक 13.02.2025 नामान्तरकरण संख्या 2303 रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में निरस्त किया गया था को पुनः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2310 दिनांक 14.02.2025 को न्यायालय के आदेश से स्वीकार कर लिया गया है और रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 दीपक के पक्ष में नामान्तरकरण खोल दिया गया है। उक्त समस्त प्रकार की स्थितियां एवं कृत्य तहसीलदार महोदय सीकर के उनकी कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह करते हुये जो नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में खोला गया को सन्देह की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जिस कारण से नामान्तरकरण स्थिर रहने योग्य नहीं अपितु निरस्त किये जाने योग्य है और अपीलान्त के पक्ष में जो नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनांकित 14.02.2025 खोला जाना तय हुआ था

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिसे बाद में अकारण सन्देहास्पद स्थिति में तहसीलदार महोदय रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा निरस्त कर दिया गया था को पुनः बहाल किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 को माननीय सिविल न्यायाधीश सीकर के यहां वसीयत दिनांकित 15.07.2021 को चुनौती अपीलान्त के द्वारा दे दी गई है और मामला अब न्यायालय में सबजूडिस है तथा नामान्तरकरण की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन थी, के बावजूद उक्त समस्त तथ्यों व स्थितियों से बाहर जाकर नियम विरुद्ध नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में खोला गया है, जो कि महज समस्त कार्यवाहियां रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा सिविल न्यायालय सीकर के नोटिस प्राप्त होने के रोज ही एक ही दिन में की गई है जो कृत्य रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा आनन फानन में किया जाना स्पष्टतया दर्शित है और मामले को संदिग्ध बनाता है इस कारण जो नामान्तरकरण संख्या 2310 दिनांकित 14.02.2025 न्यायालय आदेश से रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में खोला गया है को निरस्त किया जाकर मामले को उभय पक्ष को सुना जाकर तय किया जाना अति आवश्यक होता है तथा सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 15.02.2025 को भी ध्यान में रखा जाकर हस्तगत अपील में उचित आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जाना प्रार्थनीय है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 ने वसीयत के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों से अपीलान्त द्वारा अवगत करवाये जाने के बाद भी अपने ही विवेक का मनमाना अर्थ लगाकर आदेश पारित करते हुये नामान्तरकरण संख्या 2310 दिनांकित 14.02.2025 रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में खोला गया है जो आदेश व नामान्तरकरण किसी भी सूत्र में स्थिर रहने योग्य नहीं अपितु निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा जो आदेश नामान्तरकरण का दिनांक 07.01.2025 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में पारित किया गया है वह भी सन्देहास्पद है। चूंकि उक्त आदेश की पंक्ति संख्या 12 में तहसीलदार महोदय द्वारा यह माना गया है कि विवादग्रस्त संपदा के कब्जे को लेकर कब्जा स्पष्ट नहीं किया जा सकता और रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के कथनों के आधार पर ही विश्वास कर उसका कब्जा माना गया है जो अपने आप में ही कार्यवाही को दुषित करता है। चूंकि वास्तविकता में मौके पर जाकर मौके की स्थिति पता की जाती तथा विवादग्रस्त संपदा के पड़ोसी खातेदारान से जानकारी हासिल की जाती तो यह स्वतः ही प्रमाणित हो जाता कि विवादग्रस्त संपदा पर हस्तगत अपील में सुबा देवी उर्फ सुबा देवी के जो विधिक वारिसान दर्शित है का शामिलती तौर पर कब्जा काशत है जो कि संपदा क्रय के समय से ही निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट कब्जे को लेकर तैयार की गई वह रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के असर में बिना मौका देखे तैयार की गई है जिस पर विश्वास कर आदेश दिनांकित 07.01.2025 पारित किया गया है जो आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं अपितु निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो नोटिस क्रमांक राजस्व 2024/1912 दिनांक 28.10.2024 वसीयत के गवाह विनोद कुमार को जारी किया गया उस पर तामील नोटिस प्राप्ति रसीद के जो हस्ताक्षर विनोद कुमार के दर्शित है वह हस्ताक्षर वसीयत के गवाह विनोद कुमार के हस्ताक्षर से भिन्न एवं पृथक है। चूंकि गवाह के वसीयत पर हस्ताक्षर अंग्रेजी में होकर लघु हस्ताक्षर है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा उक्त प्रकार से पत्रावली में शामिल किये गये विनोद कुमार के शपथ-पत्र व आदेशिका पर जो हस्ताक्षर विनोद कुमार के दिनांक 13.11.24 है वह भी पृथक है जो कि वसीयत के विनोद कुमार गवाह की वास्तविकता व उपस्थिति व हस्ताक्षर को सन्देह की स्थिति में लाकर नामान्तरकरण की प्रक्रिया को दुषित करता है जिस कारण से भी नामान्तरकरण संख्या 2310 दिनांकित 14.02.2025 व आदेश दिनांक 07.01.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण विवादग्रस्त संपदा के सम्बन्ध में तस्दीक किये जाने से पूर्व सुबा देवी उर्फ सुबा देवी के विधिक वारिसान के बारे में पत्रावली में कोई सूचना नहीं ली गई और ना ही विवादग्रस्त संपदा का मौका देखा गया जिससे सुबा देवी

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

उर्फ सुबा देवी के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर हासिल ही नहीं हुआ। यदि विधिक वारिसान सुबा देवी उर्फ सुबा देवी को नियमानुसार वसीयत के गवाह की भांति नोटिस प्रेषित किये जाते और सुने जाने का अवसर दिया जाता तो जो नामान्तरकरण एक पक्षीय रूप से रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 द्वारा खोला गया है वह खोला जाना नियमानुसार कतई सम्भव नहीं हो पाता इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित होने से निरस्तनीय है। मौजूदा अपील तहसीलदार सीकर ग्रामीण के आदेश दिनांकित 07.01.2025 एवं उक्त आदेश के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2310 दिनांकित 14.02.2025 के विरुद्ध पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.01.2025 एवं उक्त आदेश के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2310 दिनांकित 14.02.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार सीकर ग्रामीण, जिला सीकर में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2024 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके दादीजी सुबा देवी पत्नि भागीरथमल जाति जाट निवासी चन्दपुरा की मृत्यु दिनांक 06.08.2024 को हो चुकी है। सुबा देवी पत्नी भागीरथमल ने अपने जीवनकाल में अपने पौत्र दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी चन्दपुरा के पक्ष में दिनांक 15.07.2021 को वसीयत निष्पादित पंजीबद्ध करवायी गई थी, जिसके आधार पर वसीयतकर्ता की सम्पूर्ण भूमि का प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाने बाबत निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 द्वारा हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चन्दपुरा के ख.नं. 645, 652, 653, 654, कुल किता 4 रकबा 1.96 है० का वसीयतनामा के आधार पर वसीयतग्रहितागण दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के पक्ष में, बाद रहनमुक्त का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ.नि. नानी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर दिनांक 14.02.2025 को स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 एवं उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ.नि. नानी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर दिनांक 14.02.2025 को स्वीकृत किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे।
7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 एवं उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ.नि. नानी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर दिनांक 14.02.2025 को स्वीकृत किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उभयपक्षों के मध्य मुख्यतः विवाद खातेदार सुबा उर्फ सुबा पत्नी भागीरथमल जाति जाट निवासी ग्राम

चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की विवादित भूमि की विरासत को लेकर है। विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 645 रकबा 0.5000 है०, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.5000 है०, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.7400 है०, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.2200 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.9600 है० अपीलान्त की माता सुवा उर्फ सुबा देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। सुवा उर्फ सुबा देवी की मृत्यु दिनांक 06.08.2024 को हो गयी थी।

हाल रेस्पोजेन्ट संख्या 1 दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (ग्रामीण) सीकर जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2024 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके दादीजी सुवा देवी पत्नि भागीरथमल जाति जाट निवासी चन्दपुरा की मृत्यु दिनांक 06.08.2024 को हो चुकी है। सुवा देवी पत्नी भागीरथमल ने अपने जीवनकाल में अपने पौत्र दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी चन्दपुरा के पक्ष में दिनांक 15.07.2021 को वसीयत निष्पादित पंजीबद्ध करवायी गई थी, जिसके आधार पर वसीयतकर्ता की सम्पूर्ण भूमि का प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाने बाबत निवेदन किया गया।

हाल रेस्पोजेन्ट संख्या 1 दीपक पुत्र लोकेश द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 द्वारा हाल रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चन्दपुरा के ख.नं. 645, 652, 653, 654 कुल किता 4 रकबा 1.96 है० का वसीयतनामा के आधार पर वसीयतग्रहितागण दीपक पुत्र लोकेश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर के पक्ष में, बाद रहनमुक्त का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ.नि. नानी, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर दिनांक 14.02.2025 को स्वीकृत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोजेन्ट संख्या 1 दीपक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर द्वारा दिनांक 09.09.2024 को प्रकरण 135 (2) एल.आर.एक्ट 1956 के तहत दर्ज किया जाकर प्रकरण में दीगर हितबद्ध की उज्र-आपत्ति अथवा एतराज आमंत्रण, प्रस्तुत वसीयतनामा का अंतिम वसीयत उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक सीकर (राज.) के प्रमाणित होने के क्रम में सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी तथा स्थानीय दैनिक अखबार में आमसूचना के नोटिस साया प्रकाशन हेतु नोटिस जारी करने एवं वसीयतनामा की इबारत में वर्णित कृषि आराजीयात की वर्तमान में कब्जा-काश्त, संपदा का पैतृक अथवा स्व-अर्जित होने, ऋणभार व वाद विवाद संबंधी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु हल्का पटवारी के निमित्त तहरीर जारी किये जाने के आदेश दिये गये।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) सीकर द्वारा प्रकरण में दीगर हितबद्ध की उज्र-आपत्ति अथवा एतराज आमंत्रण, प्रस्तुत वसीयतनामा का अंतिम वसीयत उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक सीकर (राज.) के प्रमाणित होने के क्रम में राज्य दैनिक समाचार पत्र जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति में आमसूचना के नोटिस साया प्रकाशन करवाने चाहिये थे किन्तु नोटिस साया प्रकाशन राज्य दैनिक समाचार पत्र के स्थान पर दैनिक उद्योग आस-पास में दिनांक 12.09.2024 को प्रकाशन कराया गया है। चूंकि वसीयत से जुड़ी अचल संपत्ति या दावेदार मुख्य रूप से उसी क्षेत्र से संबंधित होता है जहाँ वसीयतकर्ता रहा था, इसलिए राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन देना अनिवार्य माना जाता है ताकि किसी भी प्रकार के विरोध या लेनदार के दावों (Claims) की जानकारी तुरंत मिल सके। प्रकरण में

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदार सुवा देवी पत्नी भागीरथमल के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को जाँच के निर्देश नही दिये गये और ना ही कोई फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर ने आदेशिका दिनांक 14.10.2024 में अंकित किया गया है कि "प्रकरण में वांछित पटवारी हल्का रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल मिसल किया जावे।" जबकि प्रकरण में पटवारी हल्का चन्दपुरा द्वारा तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर को रिपोर्ट दिनांक 16.10.2024 को प्रस्तुत की गयी है, जो निष्पक्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया में संदेह पैदा करता है। तहसीलदार चूंकि भूमि का भूमिधारक होता है। इसलिये तहसीलदार का यह दायित्व भी है कि यदि नामान्तरकरण में कोई संदेह अथवा कूटरचना जाहिर होती है तो जाँच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। विवादित भूमि की खातेदार सुवा उर्फ सुबा देवी के फौत हो जाने के पश्चात उनके विधिक वारिसान भागीरथल (पति), लोकेश, धन्नालाल, श्रीराम, राकेश 4 (चार) पुत्र थे। अपीलान्त हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति हैं जिन्हें किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्त हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ग्रामीण, जिला सीकर का पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 एवं निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ.नि. नानी, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर स्वीकृत दिनांक 14.02.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार सीकर (ग्रामीण), जिला सीकर को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में सुवा उर्फ सुबा देवी के विधिक वारिसान को भी सुना जाना आवश्यक है तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जाँच पश्चात् प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जाँच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ग्रामीण, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 एवं निर्णय दिनांक 07.01.2025 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2310 ग्राम चन्दपुरा, भू.अ.नि. नानी, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर स्वीकृत दिनांक 14.02.2025 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सीकर (ग्रामीण), जिला सीकर को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में सुवा उर्फ सुबा देवी के विधिक वारिसान को भी सुना जाना आवश्यक है तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जाँच पश्चात् प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जाँच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जावे।

(दीप्ति कुँवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर